भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 (1), अनुच्छेद 266 (2) और अनुच्छेद 267 (1) के अनुसार, सरकार के लेखा को निम्नलिखित तीन भागों में वर्गीकृत किया गया हैं:

भाग I - समेकित निधि

इस निधि में कर एवं गैर-कर से संबंधित राजस्व की प्राप्तियाँ, लिए गए ऋण तथा संवितरित (उनेक ब्याज सहित) ऋणों की अदायगी अथवा चुकौती सहित सरकार की सभी प्राप्तियों को सम्मिलित किया जाता है। सरकार के सभी व्यय एवं संवितरण, जिसमें ऋणों को जारी तथा लिए गए ऋण (उनके ब्याज सहित) शामिल हैं, वे इस निधि से प्राप्त किए जाते हैं।

भाग II - आकस्मिकता निधि

आकस्मिकता निधि एक अग्रदाय प्रकृति की निधि है, जिसका उद्देश्य विधानमंडल द्वारा लंबित अप्रत्याशित व्यय को पूरा करना है। तत्पश्चात् ऐसे व्यय को समेकित निधि से पुन: प्राप्त किया जाता है। मेघालय सरकार के अंतर्गत इस निधि हेतु का ₹ 305 करोड़ रूपये की राशि संचित है।

भाग III- लोक लेखा

लोक लेखा में, ऋण (भाग I में शामिल के अतिरिक्त), 'जमा', 'अग्रिम', 'प्रेषण' तथा 'उचंत' अभिलेखित किए जाएंगे। इस भाग में ऋण, जमा एवं अग्रिम के अंतर्गत लेनदेन/संव्यहार इस तरह के सम्मिलित हैं, जिसमें पूर्व (ऋण तथा जमा) के पुनर्भुगतान एवं उत्तरार्द्ध (अग्रिमों) की वसूली के साथ एवं जिसके संबंध में सरकार, प्राप्त धनराशि को चुकाने के लिए देयता के रूप में व्यय या भुगतान की गई राशियों को पुनः प्राप्त करने का दावा करती है। इस भाग के अंतर्गत 'प्रेषण', तथा 'उचंत' से संबंधित लेन-देन/ संव्यहार, समायोजन शीर्ष, जिसके अंतर्गत राजकोष एवं मुद्रा कोष के बीच नकद का प्रेषण एवं विभिन्न लेखाकरण परिमंडल के बीच होने वाले अंतरण से संबंधित लेन-देन/ संव्यहार, समाविष्ट होगा। इन शीर्षों में प्रारंभिक समय में किए गए डेबिट अथवा क्रेडिट को अंत: लेखा के अंतिम शीर्ष में बुकिंग के उपरांत रिक्त कर दिया जाता है।